राजेश बिंदल और हरिंदर सिंह सिद्धू से पहले, जे. जे.

फूल चंद मुल्लाना और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2015 का सीडब्ल्यूपी **No.13829**

23 दिसंबर, 2016

भारत का संविधान, **1950**-कला।**226, 227**—सरकार की खुशी से नियुक्त होने पर पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं-आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त याचिकाकर्ता-नई सरकार के गठन के बाद गैर-वैधनिक आयोग को समाप्त कर दिया गया-याचिकाकर्ताओं को सेवा से हटा दिया गया-राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर हटाने को चुनौती दी गई-आयोजित, किसी भी प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना सरकार की खुशी से नियुक्त याचिकाकर्ताओं को पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था-याचिका खारिज कर दी गई।

माना जाता है कि अधिसूचना के खंड 2 का शीर्षक 'अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यालय की शर्तें और सेवा की शर्तें' है।खंड 2 (ए) निम्नानुसार हैः

"पदेन सदस्य को छोड़कर, अध्यक्ष और सदस्य तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।

यह स्पष्ट है कि इस प्रावधान के अनुसार पदेन सदस्य को छोड़कर, अध्यक्ष और सदस्य तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।स्पष्ट रूप से, निर्दिष्ट तीन साल का कार्यकाल 'अधिकतम कार्यकाल' है जिसके लिए ऐसी नियुक्ति की जा सकती है।न तो न्यूनतम या एक निश्चित अवधि प्रदान की गई है।

(पैरा 15)

बनाम हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादी

इसके अलावा यह माना गया कि दिनांक 8.8.2014 और 21.8.2014 (अनुलग्नक पी-3 और पी-5) की अधिसूचनाओं में भी, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अध्यक्ष और सदस्यों के पद और सेवा की शर्तों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।पद की अवधि निर्दिष्ट करने वाली ऐसी किसी भी अधिसूचना के जारी होने से पहले, विवादित अधिसूचना आयोग का गठन करने और याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति करने वाली पिछली अधिसूचनाओं को वापस लेने के लिए अस्तित्व में आई।इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि विवादित अधिसूचना अवैध है क्योंकि इसने याचिकाकर्ताओं के कार्यकाल को कम कर दिया है।

(पैरा 16)

इसके अलावा यह माना गया कि भले ही याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की अधिसूचना में पद की अवधि निर्दिष्ट की गई हो, लेकिन याचिकाकर्ताओं को अपने आप में कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि गठित आयोग गैर- वैधनिक था।

(पैरा 17)

आगे कहा कि हम प्रतिवादी के वकील के तर्क में भी योग्यता पाते हैं। प्रतिवादी के वकील ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता किसी भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं आए थे, इसलिए उन्हें विशुद्ध रूप से तत्कालीन सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि और खुशी पर नियुक्त किया गया था और चूंकि नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई थी, इसलिए उनकी नियुक्ति विशुद्ध रूप से सरकार की खुशी पर थी और उन्हें पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था

(पैरा 18)

G.K.S.Taank, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

लोकेश सिंहल, एडिशनल।ए. जी, हरियाणा।

हरिंदर सिंह सिधु, जे।

(1) यह याचिका दिनांक 18.12.2014 (अनुलग्नक पी-1) के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए दायर की गई है, जिसके तहत दिनांकित 10.10.2013 (अनुलग्नक पी-2) की अधिसूचना जिसमें हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संक्षेप में "आयोग") का गठन किया गया है और दिनांकित 19.8.2014 और 21.8.2014, (अनुलग्नक पी-4 और पी -5) जिसे याचिकाकर्ताओं को अध्यक्ष और उसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था, वापस ले लिया गया है।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि दिनांक 10.10.2013 की अधिसूचना के माध्यम से, हरियाणा राज्य ने आयोग का गठन किया।आयोग में अध्यक्ष सहित चार सदस्य होने थे। अध्यक्ष को सामाजिक जीवन में व्यापक अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों से संबंधित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना था।सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित तीन से अधिक गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले योग्यता सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नहीं की जानी थी।यह निर्धारित किया गया था कि पूर्व सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष और सदस्य तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।उन्हें निर्दिष्ट आधार पर भी हटाया जा सकता है।अधिसूचना का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

संख्या 769 एस. डब्ल्यू. (1)-2013:- हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा राज्य में "अनुसूचित जातियों के लिएएक आयोग स्थापित करने की सहमति दी हरियाणा राज्य अनुसूचित आओग के नाम से जाना जाता है -

1. आयोग का गठनः

(क) आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्य शामिल होंगे।

अध्यक्ष सामाजिक जीवन में व्यापक अनुभव रखने वाली किसी भी अनुसूचित जाति से संबंधित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।

अनुसूचित जातियों में से संबंधित तीन से अधिक गैर-सरकारी सदस्यों को सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले योग्यता सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नियुक्त नहीं किया जा सकता हैः

बशर्ते कि आयोग के अध्यक्ष या तीन सदस्यों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास कम से कम सात साल की स्थिति के साथ कानून की डिग्री होगीः

"हरियाणा सरकार

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण

विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर, 2013

बशर्ते कि आयोग के चार गैर-सरकारी सदस्यों में से एक महिला होगी।

(ख) निदेशक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा पदेन सदस्य होगा।

(ग) आयोग का एक सचिव होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों में से की जाएगी, जो संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं होगा।

2. अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें:

(क) पूर्व आधिकारिक सदस्य को छोड़कर अध्यक और सदस्यों का कार्यकाल 3 तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा

(ख) आयोग का अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

(ग) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा सकती है यदि वह व्यक्ति -

i. दिवालिया हो जाता है; या

ii.किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है;

iii.अस्वस्थ दिमाग का हो जाता है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया जाता है; या

iv.कार्य करने से इनकार कर देता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

सदस्य।

v. आयोग से अनुपस्थी की अनुमति प्राप्त किए बिना, आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित; या

vi.सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद का इस तरह से दुरुपयोग किया है ताकि उस व्यक्ति के पद पर बने रहने से अनुसूचित जातियों के हितों को नुकसान पहुंचेः

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उस व्यक्ति को हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सचिव, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

(घ) पूर्ववर्ती प्रावधानों के तहत या अन्यथा हुई रिक्ति को सरकार द्वारा एक नई नियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है और जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, वे उस व्यक्ति के पद की शेष अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जिसकी रिक्ति में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है, यदि रिक्ति नहीं हुई होतीः

बशर्ते कि यदि अध्यक्ष के अलावा किसी अन्य सदस्य की रिक्ति उस तारीख से पहले छह महीने के भीतर होती है जिस दिन सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है, तो ऐसी रिक्ति नहीं भरी जाएगी।

(ङ) अध्यक्ष को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य नियम और शर्तें और भत्ता सदस्यों को देय राशि ऐसी हो सकती है जो सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए।"

इस अधिसूचना को बाद में दिनांक 19.8.2014 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसके तहत आयोग की संरचना को एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित छह सदस्यों तक बढ़ाया गया था।यह अधिसूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः-

"हरियाणा सरकार

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण

विभाग

अधिसूचना

19 अगस्त, 2014

संख्या 632 एस. डब्ल्यू. (1)-2014 हरियाणा के राज्यपाल ने अधिसूचना संख्या 769 एस. डब्ल्यू. (1)-2013 दिनांक 10.10.2013 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जिसके तहत हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था।अधिसूचना संख्या 769 एस. डब्ल्यू. (1) 2013 के खंड 1 (ए) और खंड 4 (एफ) में निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

खंड 1 (ए) आयोग में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल छह सदस्य होंगे।अध्यक्ष किसी भी अनुसूचित जाति से संबंधित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जिसे सामाजिक जीवन का अनुभव होगा।

अनुसूचित जातियों से संबंधित उपाध्यक्ष सहित पांच से अधिक गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले योग्यता सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नहीं की जा सकती है:

बशर्ते कि अध्यक्ष या आयोग के पांच सदस्यों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास कम से कम सात साल की स्थिति के साथ कानून की डिग्री होगी:

बशर्ते कि आयोग के छह गैर-सरकारी सदस्यों में से एक महिला होगी।

खंड 4 (च) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में में, उपाध्यक्ष आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

इसके अलावा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सदस्य बैठक पर निर्णय लेने के लिए अपने बीच से एक सदस्य का चुनाव कर सकते हैं और ऐसी बैठक की कार्यवाही को उचित और कानूनी माना जाएगा।

दिनांकित, चंडीगढ़ राम निवास 17.08.2014

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुसूचित जाति और पिछड़े कल्याण वर्ग विभाग।"

दिनांक 08.08.2014 की अधिसूचना के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और याचिकाकर्ता संख्या 2,3 और 4 को आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया।दिनांक 21.08.2014 की अधिसूचना के अनुसार, याचिकाकर्ता

संख्या 5 और 6 को आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 को आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया था। इन अधिसूचनाओं को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"हरियाणा सरकार

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण

विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त**, 2014**

संख्या 595-एस. डब्ल्यू. (1)-2014 हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा सरकार द्वारा गठित हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निम्नलिखित की अधिसूचना की है। 769 एस. डब्ल्यू. (1)-2013, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013

1. Sh.Phool चंद मुलाना अध्यक्ष #79, सेक्टर-7, चंडीगढ़ अध्यक्ष

#450, योगी आश्रम, अंबाला के सामने

2. कर्नल। (सेवानिवृत्त) आर्य वीर सदस्य #614, चाहत गाँव, सेक्टर 29 नोएडा, उत्तर प्रदेश। सदस्य

3. एस. रोशन लाल, एच. सी. एस. (सेवानिवृत्त) सदस्य #1633, सेक्टर 13, हिसार। सदस्य

4. सुश्री सोनिया भारती, अधिवक्ता सदस्य डी/ओ श्री चरण दास

#51/31, सीवान गेट, जेल रोड, कैथल सदस्य

2. हरियाणा सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के एच. सी. एस. अधिकारी आयोग के सचिव होंगे।

3. अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

दिनांकित, चंडीगढ़ तरुण बजाज

6-8-2014

प्रधान सचिव,हरियाणा सरकार , अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।"

"हरियाणा सरकार

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण

विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त**, 2014**

संख्या 632 ए-एस. डब्ल्यू. (1)-2014 हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अधिसूचना संख्या 769 एस. डब्ल्यू. (1)-2013, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के माध्यम से गठित अनुसूचित जातियों के लिए हरियाणा राज्य आयोग के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित लोगों की नियुक्ति की है।

1. श्री . मनोज बागड़ी पुत्तर श्री जय सिंह सदस्य

बागड़ी, #1115, सेक्टर 14, सोनीपत।

2. श्री . फूल सिंह सांसीपुत्तर श्री शीओ चंद, मकान नं. 35, वार्ड नं. 1, इंदिरा कॉलोनी, रोहतक।

कर्नल। (सेवानिवृत्त) आर्य वीर, #614, चाहत गाँव, सेक्टर 29, नोएडा, उत्तर प्रदेश को अधिसूचना संख्या 595 एस. डब्ल्यू. (1)-2014 दिनांक 08.08.2014 के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिए हरियाणा राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया है।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

दिनांकित, चंडीगढ़

राम निवास

20.08.2014 हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव।"

(3) हरियाणा राज्य विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर, 2014, में हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया। नई भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जगह 26.10.2014 पर पदभार ग्रहण किया।याचिकाकर्ताओं का मामला है कि चुनाव से पहले राज्य के भाजपा नेताओं ने घोषणा की थी कि अगर पार्टी आगामी चुनावों में सत्ता में आती है, तो पिछली सरकार द्वारा लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा की जाएगी।भाजपा सरकार के गठन के तुरंत बाद, मंत्रिमंडल ने 27.10.2014 पर पिछली सरकार द्वारा 16.5.2014 के बाद की गई नियुक्ति/भर्ती से संबंधित सभी घोषणाओं और निर्णयों की समीक्षा करने का औपचारिक निर्णय लिया।उक्त निर्णय को जल्द से जल्द लागू करने के अनुरोध के साथ सभी प्रशासनिक विभागों को सूचित कर दिया गया था।

(4) ये उक्त निर्णय, जिन्हें संलग्नक पी-6 और पी-7 के रूप में संलग्न किया गया है, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

"मंत्रालयों की परिषद

फूल चंद मुल्लाना और अन्य बनाम हरियाणा राज्य की 217

और अन्य (हरिंदर सिंह सिद्धू, जे.)

विषयः- पूर्व में की गई घोषणाओं की समीक्षा

विषय- 16 मई, 2014 के बाद पिछली सरकार द्वारा की गयी घोषणाओ की समीक्षा

क्या हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त और सचिव कृपया ऊपर उल्लिखित विषय का उल्लेख करेंगे?

1. मंत्रिपरिषद ने 27.10.2014 पर आयोजित अपनी बैठक में इस मामले में निम्नलिखित निर्णय लिया हैः- (इस विषय को कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, लेकिन इस पर विचार किया गया था

मुख्यमंत्री की अनुमति से)।

“मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति से निर्णय लिया कि सरकार पिछली सरकार 16.5.2014 के बाद की गई नियुक्तियों/भर्तियों से संबंधित सभी घोषणाओं और निर्णयों की समीक्षा करेगी।

2. प्रशासनिक विभाग से अनुरोध है कि कृपया मंत्रिपरिषद के निर्णय को जल्द से जल्द लागू करें।

एस. डी./-

अधीक्षक, हरियाणा मंत्रिपरिषद के सचिव के लिए अधीक्षक कैबिनेट

हरियाणा "

“मंत्रालयों की परिषद

विषयःपिछली सरकार द्वारा16.5.14 के बाद की गई घोषणाओं/भर्तियों/नियुक्तियों की समीक्षा

मई, 2014

क्या हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/आयुक्त और सचिव कृपया ऊपर उल्लिखित विषय का उल्लेख करेंगे?

2. मंत्रिपरिषद ने 05.11.2014 पर आयोजित अपनी बैठक में इस मामले में निम्नलिखित निर्णय लिया हैः-

(इस विषय को कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, लेकिन इस मुख्यमंत्री की अनुमति से विचार किया गया था)

मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति से 16 मई 2014 के बाद पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणाओं/भर्तियों/नियुक्तियों से संबंधित मामले पर चर्चा की।उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गएः-

(i) प्रशासनिक विभाग उन सभी मामलों की समीक्षा करेंगे जिनके लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी दी गई थी और वे मंत्रिपरिषद के समक्ष आवश्यक ज्ञापन लाएंगे। प्रशासनिक विभाग

द्वारा जाँच अगले 15 दिनों के भीतर की जाएगी और तब तक कार्यान्वयन में यथास्थिति बनी रहेगी।

(ii). प्रशासनिक विभाग अपने प्रभारी मंत्री के माध्यम द्वारा घोषणाओं/भर्तियों/नियुक्तियों पर अन्य निर्णयों की समीक्षा करेंगे।

3. प्रशासनिक विभाग से अनुरोध है कि कृपया मंत्रिपरिषद के निर्णय को जल्द से जल्द लागू करें।

एसडी/-

मंत्रिमंडल के सचिव, मंत्री परिषद,
हरियाणा के लिए अधीक्षक "

(5) यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि इन निर्णयों को आगे बढ़ाते हुए, आयोग का गठन करने वाली पिछली अधिसूचनाओं को वापस लेने और याचिकाकर्ताओं को अध्यक्ष और उसके सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के लिए दिनांक 18.12.2014 की विवादित अधिसूचना जारी की गई थी।यह अधिसूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैः

““‘हरियाणा सरकार

अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का कल्याण

डिपार्टमेंट

219 फ़ूल चंद मुल्लाना और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (हरिंदर सिंह सिद्धू, जे.)

अधिसूचना

No.962-SW (1)-2014

तारीखः18.12.2014

हरियाणा के राज्यपाल ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना नंबर 769 /SW (1)-2013 दिनांक 10.10.2013. के माध्यम से जारी अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसे "हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग" के

रूप में जाना जाता है, जिसका गठन किया गया था, और इसके साथ ही उन्होंने अधिसूचना नंबर 595 /SW (1)-2014 दिनांक 21.08.2014. के माध्यम से जारी अधिसूचना को भी वापस ले लिया है, जिसमें उक्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई थी।

महामहिम ने अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित उपायों का सुझाव देने और राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित तंत्र का प्रस्तावन्याय स्तरीय समिति की स्थापना का आदेश देते हुए प्रसन्ता हो रही है

महामहिम को यह आदेश देते हुए प्रसन्ता हो रही है कि Sh.Krishan कुमार बेदी। सामाजिक न्यायाधीश और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री भगवान दास कबीरपंथी, विधायक और श्री कृष्ण लाल पंवार, विधायक इस उच्च स्तरीय समिति के अन्य सदस्य और सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। हरियाणा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

दिनाक चंडीगढ़ कुमार सुनील गुलाटी,

17.12.201 अतिरिक्त मुख्य सचिव, अनुसूचित जाति
और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, चंडीगढ़ "।

यह वह अधिसूचना है जो याचिका में आक्षेपित है।

220 फ़ूल चंद मुल्लाना और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

और अन्य (हरिंदर सिंह सिद्धू, जे.)

(6) हरियाणा राज्य की ओर से दायर लिखित बयान में कहा गया है कि मामले की विस्तार से जांच करने के बाद अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जनहित में दिनांक 18.12.2014 की विवादित अधिसूचना जारी की गई है।सामाजिक न्यायाधीश और अधिकारिता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति मंत्री का गठन अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित उपायों का सुझाव देने और आयोग द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित तंत्र का प्रस्ताव करने के लिए किया गया था।

(7) यह कहा गया है कि आयोग का गठन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संसदीय समिति की सलाह पर दिनांक 10.10.2013 की अधिसूचना के

माध्यम से किया गया था, जिसने 17.10.2012 पर जींद की अपनी यात्रा के दौरान सिफारिश की थी कि राज्य सरकार हरियाणा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग का गठन कर सकती है।इसके लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई।हालांकि, उन्होंने आयोग के कामकाज में कोई रुचि नहीं दिखाई और एक भी आधिकारिक बैठक नहीं की।उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें भी वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा जारी नहीं की गई थीं।इस प्रकार, आयोग दिनांकित 10.10.2013 अधिसूचना के तहत प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल रहा।तदनुसार, राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित उपायों को अधिसूचना दिनांक 18.12.2014 के माध्यम से और विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित तंत्र का प्रस्ताव करने के लिए सामाजिक न्यायाधीश और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसे अनुसूचित जातियों के राज्य आयोग द्वारा जनहित में किया जाना था।सामाजिक न्यायाधीश और अधिकारिता विभाग के माननीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, विधायक (नीलोखेड़ी) श्री भगवान दास कबीरपंथी और विधायक (इसराना) श्री कृष्ण लाल पवार को समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था।हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव को उक्त समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया।इसके बाद, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन अधिसूचना दिनांक 2.9.2015

के माध्यम से किया गया।श्री भगवान दास कबीरपंथी, विधायक, श्री बनवारी लाल, विधायक और श्री कुलवंत राम बाजीगर, विधायक को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया।इसलिए, अधिसूचनाओं को वापस लेने और उच्च स्तरीय समिति का गठन करने में राज्य सरकारों की कार्रवाई कानूनी और उचित है।

(8) एल. डी. अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि दिनांकित 10.10.2013 अधिसूचना के खंड 2 (ए) के अनुसार, अध्यक्ष और सदस्य तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।उन्होंने तर्क दिया कि इस खंड के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को एक निश्चित कार्यकाल दिया गया था, जिसे खंड 2 (सी) में निर्दिष्ट हटाए जाने के कारणों की अनुपस्थिति में कम नहीं किया जा सकता था।

याचिकाकर्ताओं के मामले में ऐसा कोई कारण नहीं था।दूसरा, नियम 2 (सी) के प्रावधान के अनुसार, हटाने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना था जो याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया था।इसलिए, उन्हें हटाना अधिसूचना के प्रावधानों के विपरीत है।इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि आयोग को भंग करने और याचिकाकर्ताओं को हटाने का सरकार का निर्णय तुच्छ राजनीतिक विचारों से प्रेरित एक पक्षपातपूर्ण निर्णय था।उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के सभी निर्णयों की समीक्षा करने के अपने घोषित इरादे के आलोक में, भाजपा सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद, मंत्रिपरिषद ने दिनांक 16.15.2014 के बाद की गई नियुक्तियों/भर्ती से संबंधित सभी घोषणाओं और निर्णयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया।उन्होंने तर्क दिया कि आठ सांविधिक या गैर-सांविधिक आयोगों को समाप्त कर दिया गया है और उनके अध्यक्षों और सदस्यों को वर्तमान सरकार के गठन के बाद बिना किसी कानूनी या न्यायोचित आधार के हटा दिया गया है।सरकार के इस कथित औचित्य का उल्लेख करते हुए कि विवादित अधिसूचना ईमानदारी से जारी की गई थी और इस कारण से कि न तो अध्यक्ष और न ही आयोग के सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कोई रुचि दिखाई और न ही कोई बैठक की, उन्होंने कहा कि आयोग कार्य नहीं कर सकता क्योंकि आयोग के कामकाज के लिए कोई कार्यालय स्थान प्रदान नहीं किया गया था।उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह तथ्य कि अनुसूचित जातियों से संबंधित उपायों का सुझाव देने और अन्य कार्यों को करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जो आयोग द्वारा स्वयं किया जाना था, आयोग की निरंतरता को

उचित ठहराता है।उन्होंने तर्क दिया कि तथाकथित उच्च स्तरीय समिति ने कोई बैठक नहीं की थी और कथित रूप से उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा किया था।

(9) एल. डी. याचिकाकर्ताओं के वकील ने संघ पर भरोसा रखा

भारत और दूसरा बनाम शारदिंदु **1,** स्टेट ऑफ एमपी बनाम अजय सिंह और अन्य **2,** **D.K.Yadav** बनाम मेसर्स जेएमए इंडस्ट्रीज लिमिटेड। **3,** कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **4** और

1 2007(6) एस. सी. सी. 276

2 1993 (1) एस. सी. सी. 302)

31993 (3) एस. सी. सी. 259

4 1991 (1) एस. सी. सी. 212

2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.16335 में 'Ms.Kamlesh पंचाल बनाम हरियाणा राज्य' शीर्षक से इस न्यायालय के निर्णय ने 17.05.2016 पर निर्णय लिया।

(10) एल. डी. अधिवक्ता की दलीलों का खंडन करना। याचिकाकर्ताओं के वकील, Sh.Lokesh सिंहल ने तर्क दिया कि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, इसलिए, याचिकाकर्ता जारी रखने के किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। दिनांक 10.10.2013 की अधिसूचना के खंड 2 (ए) का उल्लेख करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि उसमें निर्दिष्ट शब्द अधिकतम अवधि थी।अधिसूचना द्वारा पद का कोई न्यूनतम कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया था।यहां तक कि दिनांक 8.8.2014 और 21.8.2014 (अनुलग्नक पी-3 और पी-5) की अधिसूचनाओं में भी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अध्यक्ष और सदस्यों के पद और सेवा की शर्तों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।कार्यकाल निर्दिष्ट करने वाली ऐसी कोई अधिसूचना कभी जारी नहीं की गई थी।उन्होंने आयोग के गठन की अधिसूचना को वापस लेने के किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे से स्पष्ट रूप से इनकार किया।उन्होंने आगे तर्क दिया कि दुर्भावनापूर्ण सामान्य आरोपों को बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति को जवाब देने के लिए प्रेरित किए नहीं किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि दिनांक

10.10.2013 की अधिसूचना के खंड 4 (सी) के अनुसार, आयोग को हर दो महीने में कम से कम एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता थी।उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने अस्तित्व की पूरी अवधि के दौरान आयोग द्वारा कोई बैठक नहीं की गई थी। दिनांक 02.9.2014 की बैठक के मिनट (याचिकाकर्ता द्वारा संलग्नक पी-17 के रूप में अपनी प्रतिकृति के साथ संलग्न) की एक बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोग की बैठक नहीं थी, बल्कि नवगठित आयोगों के संचालन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक थी।उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता किसी भी चयन प्रक्रिया के माध्यम द्वारा नहीं आए थे, उन्हें विशुद्ध रूप द्वारा तत्कालीन सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि और खुशी पर नियुक्त किया गया था।नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई थी, न ही कोई पात्रता मानदंड प्रदान किया गया था।इस प्रकार, उनकी नियुक्ति विशुद्ध रूप से सरकार की इच्छा पर थी और उन्हें पद पर बने रहने का कोई

कानूनी अधिकार नहीं था।उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है, चाहे आयोग का गठन किया जाए या नहीं या अनुसूचित जातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कोई अन्य तंत्र अपनाया जाए।सरकार ने अपने विवेक से पाया कि आयोग को सौंपे गए कार्यों को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करके बेहतर तरीके से किया जा सकता है।उक्त निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है, जो विशुद्ध रूप से सरकार का एक नीतिगत निर्णय है।

(11) उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह याचिका दस महीने की देरी के बाद दायर की गई है।

(12) सुना Ld अधिवक्ता पार्टियों के वकील ने रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

(13) एल. डी. अधिवक्ता का प्राथमिक विवाद। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि आयोग के गठन की अधिसूचना के खंड 2 (ए) के अनुसार, अध्यक्ष और सदस्यों को तीन साल का न्यूनतम/निश्चित कार्यकाल प्रदान किया गया था।इस अवधि को केवल अधिसूचना के खंड 2 (सी) में विचार के अनुसार हटाने की प्रक्रिया का सहारा लेकर कम किया जा सकता है जिसमें हटाने के लिए विशिष्ट आधार शामिल हैं और सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता है।चूंकि इस तरह

की प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया था और वास्तव में हटाने के लिए ऐसा कोई आधार मौजूद नहीं था, इसलिए विवादित कार्रवाई अवैध थी।

(14) एल. डी.अधिवक्ता का यह विवाद। याचिकाकर्ताओं के वकील गलत तरीके से स्थापित हैं और अधिसूचना के एक सादे पढ़ने से गलत साबित होते हैं।

(15) अधिसूचना के खंड 2 का शीर्षक 'अध्यक्ष और सदस्यों के पद और सेवा की शर्तें' है। खंड 2 (ए) निम्नानुसार है:"पदेन सदस्य को छोड़कर, अध्यक्ष और सदस्य तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे "यह स्पष्ट है कि इस प्रावधान के अनुसार पदेन सदस्य को छोड़कर, अध्यक्ष और सदस्य तीन साल से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।स्पष्ट रूप से, निर्दिष्ट तीन साल का कार्यकाल 'अधिकतम कार्यकाल' है जिसके लिए ऐसी नियुक्ति की जा सकती है।न तो न्यूनतम या एक निश्चित अवधि प्रदान की गई है।

(16) इसके अलावा, दिनांक 8.8.2014 और 21.8.2014 (अनुलग्नक पी-3 और पी-5) की अधिसूचनाओं में भी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अध्यक्ष और सदस्यों के पद और सेवा की शर्तों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।पद की अवधि निर्दिष्ट करने वाली ऐसी किसी भी अधिसूचना के जारी होने से पहले, विवादित अधिसूचना आयोग का गठन करने और याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति करने वाली पिछली अधिसूचनाओं को वापस लेने के लिए अस्तित्व में आई।इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि विवादित अधिसूचना अवैध है क्योंकि इसने याचिकाकर्ताओं के कार्यकाल को कम कर दिया है।

(17) इसके अलावा, भले ही याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की अधिसूचना में पद की अवधि निर्दिष्ट की गई हो, लेकिन याचिकाकर्ताओं को अपने आप में कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं होगा क्योंकि गठित आयोग गैर-सांविधिक था।

(18) हम एल. डी. अधिवक्ता के तर्क द्वारा भी योग्यता पाते हैं। प्रतिवादी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं आए थे, इसलिए उन्हें पूरी तरह से व्यक्तिपरक आधार पर नियुक्त किया गया था।

तत्कालीन सरकार की संतुष्टि और खुशी और चूंकि नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई थी, इसलिए उनकी नियुक्ति विशुद्ध रूप से सरकार की खुशी पर थी और उन्हें पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

(19) इस न्यायालय ने हाल ही में सी. डब्ल्यू. पी. में इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया जोकि **2016** का **No.18570** शीर्षक सोम दत्त और अन्य बनाम राज्य है हरियाणा और अन्य ने 7.9.2016 पर निर्णय लिया।उस याचिका में आयोग के कुछ सदस्यों ने अपने कार्यकाल के दौरान 'हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग' के विघटन को चुनौती दी थी।विघटित आयोग के स्थान पर, जिसे कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठित किया गया था, हरियाणा पिछड़ा खंड आयोग अधिनियम, 2016 की धारा 3 के संदर्भ में एक नए आयोग का गठन किया गया था, जिसे पहले के आयोग के अस्तित्व के दौरान अधिनियमित किया गया था।याचिकाकर्ताओं की प्राथमिक चुनौती यह थी कि उनका जो कार्यकाल दिनांक 07.04.2017 तक बढ़ा दिया गया था, उसे काम नहीं किआ जा सकता क्यूंकि कार्यकाल में कटौती का कोई प्रावधान नहींहै ।

इस तर्क को नकारते हुए इसे निम्नानुसार माना गयाः

"13. जिस आयोग में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी, उसका गठन राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना द्वारा किया गया था।आयोग को उसी तरीके से भंग कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं का सदस्य बनना बंद हो गया है।न तो आयोग के गठन और न ही याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का कोई वैधानिक आधार था।इसके अभाव में, याचिकाकर्ताओं को सदस्य के रूप में बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।यह अच्छी तरह से तय है कि नियुक्ति की शक्ति में हटाने की शक्ति शामिल है।याचिकाकर्ताओं को किसी भी चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना या आम जनता से आवेदन आमंत्रित किए बिना सरकार के एकमात्र विवेक पर नामित किया गया था।ऐसी नियुक्ति संविधान के भाग XIV के तहत रोजगार या नियुक्ति की प्रकृति में नहीं है।इसे सरकार की इच्छा के तहत माना जाना चाहिए और याचिकाकर्ताओं को कोई कानूनी या मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, हम अधिसूचना संलग्नक पी-6 में आयोग को भंग करने और याचिकाकर्ताओं की सदस्यता की परिणामी समाप्ति में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

14. इसी तरह के प्रश्नों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विचार किया गया। और यह उच्च न्यायालयों किया गया है कि अध्यक्ष/बोर्डों/आयोगों के सदस्यों जैसे उच्च सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां जो किसी भी प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया का पालन करके नहीं की जाती हैं, लेकिन सरकार के शुद्ध विवेक और व्यक्तिपरक संतुष्टि में होती हैं और जिनके लिए 'कार्यकाल' से अलग कोई 'न्यूनतम कार्यकाल' निर्धारित नहीं किया जाता है, वे सरकार की खुशी में होती हैं और बिना किसी कारण के आनंद के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।ऐसी स्थिति में आनंद के सिद्धांत का प्रयोग न तो मनमाना है और न ही असंवैधानिक है जो अनुच्छेद 14 के विरोधी नहीं है।"

उपरोक्त मामले का वह अनुपात वर्तमान मामले में भी पूरी तरह से आकर्षित है।

(20) एल. डी. अधिवक्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण तर्क उठाया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील को भी विफल होना चाहिए।किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, लेकिन केवल एक सामान्य आरोप है कि सरकार बदलने के साथ कई बोर्डों और निगमों का पुनर्गठन किया गया है, जो पिछली नियुक्तियों की समीक्षा करने के सामान्य निर्णय के परिणामस्वरूप हुआ है।इसी तरह के तर्क को माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने डी. सी. सक्सेना बनाम हरियाणा राज्य खारिज कर दिया था

(21) अपीलकर्ता को 10 दिसंबर, 1985 को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।उस समय वे पंजाबी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र, बठिंडा के प्रोफेसर-निदेशक के पद पर थे।उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति पर उन्होंने प्रोफेसर-निदेशक के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 11 दिसंबर, 1985 को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उनकी मूल नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए थी।जब वे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद संभाल रहे थे, तब उन्हें हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग से 24 मार्च, 1986 को एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि सरकार किसी भी समय उनके पद के कार्यकाल में कटौती कर सकती है।7 जून, 1986 को उन्हें एक आदेश दिया गया कि उनके कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से कम कर दिया गया है और वह 8 जून, 1986 से अध्यक्ष के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।उन्होंने इस आदेश को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि उनकी मूल नियुक्ति दो साल के लिए थी जब वे

एक प्रतिष्ठित पद पर थे, कि उन्होंने उस पद को छोड़ दिया और नए पद का प्रभार संभाला, कि मूल अवधि में कटौती ने उनकी स्थिति को उनके नुकसान के लिए बदल दिया और यह सब दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया था।

5 (1987) 3 एससीसी 251

(22) न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दुर्भावनापूर्ण आधार को खारिज कर दिया कि उनके कार्यकाल में कटौती राज्य में विभिन्न बोर्डों और निगमों में अध्यक्षों के एक नए वर्ग को लाने के लिए नई सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का परिणाम था। न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 5..... तथ्यों और परिस्थितियों पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के कार्यकाल की समाप्ति राज्य में विभिन्न बोर्डों में अध्यक्षों के एक नए वर्ग को लाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का परिणाम था।अभिलेख की सामग्री से हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अपीलार्थी के कार्यकाल की समाप्ति दुर्भावना से प्रेरित थी या दंडात्मक प्रकृति की थी। अपीलार्थी की सेवाओं को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और पर्यटन निगम, हरियाणा को छोड़कर बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष के रूप में गैर-अधिकारियों और गैर-विधायक की सेवाओं के साथ सरकार द्वारा लिए गए एक सामान्य निर्णय के कारण हटा दिया गया था।इसी तरह

अपीलार्थी की सेवाओं की समाप्ति के साथ कई अन्य बोर्डों और संगठनों के अध्यक्षों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।"

(23) दुर्भावनापूर्ण दलीलों का याचिकाकर्ताओं के लिए कोई लाभ नहीं है क्योंकि उन्हें जारी रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

(24) एल. डी. अधिवक्ता द्वारा निर्णयों पर भरोसा किया गया वे अलग अलग है । । शारदिन्दु और कमलेश पांचाल के मामले (उपरोक्त) एक अधिनियम के तहत नियुक्तियों के मामले थे, जो वर्तमान भिन्न थे , जहां नियुक्ति गैर-वैधानिक थी।अजय सिंह और अन्य के मामले (उपरोक्त) में, प्रश्न किसी भी अधिसूचना में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के तहत शक्ति का उपयोग करके मौजूदा सदस्य के प्रतिस्थापन द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित जांच आयोग के पुनर्गठन की शक्ति के

बारे में था।अदालत ने इस सवाल का जवाब नकारात्मक दिया।D.K.Yadav का मामला (ऊपर दिया गया) एक कर्मचारी की बर्खास्तगी का मामला था जिसे माननीय न्यायालय ने माना कि उचित जांच के बिना सहारा नहीं लिया जा सकता था। कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी का मामला (सुपरा) कानूनी अनुस्मारक नियमावली और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 24 के संदर्भ में नियुक्त जिला सरकारी वकीलों को सामूहिक रूप से समाप्त करने का मामला था।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यू. पी. राज्य के सभी जिलों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति को एक सर्वव्यापी आदेश द्वारा समाप्त करने वाला विवादित परिपत्र, भले ही नियुक्तियां व्यक्तिगत थीं, और बिना किसी सामान्य कारण के सभी के लिए लागू होती हैं, जो को उचित ठहराती हैं। नियुक्ति, समाप्ति और कार्यकाल के नवीनीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने वाले एल. आर. नियमावली में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद उनकी समाप्ति मनमाना थी।यह निर्णय वर्तमान उद्देश्य के लिए भी प्रासंगिक नहीं है।

(25) तदनुसार, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

डॉ. सुमती जुंद

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

निधि तंवर